

भारत सरकार, खान मंत्रालय

GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF MINES भारतीय खान ब्यूरो , क्षेत्रीय खान नियंत्रक कार्यालय- रायपुर INDIAN BUREAU OF MINES, OFFICE OF REGIONAL CONTROLLER OF MINES, RAIPUR



फोन- 2282530–0771 2285590/ / 95, ईमेल - <u>ro.raipur@ibm.gov.in</u>

दिनांक 07/01/2022

प्रेषितिः

Shri D K Mohanty, Director (Production),

NMDC Ltd, 10-3-311/A,

Castle hills, Masab tank, Hyderabad

CHG/BST/FE-15/30MPR48001

Pin: 500028, Telangana

Email: dkmohanty123@nmdc.co.in, pranab@nmdc.co.in, bvenkat@nmdc.co.in

विषयः छत्तीसगढ राज्य के Dantewada जिले में स्थित आपकी Deposit-10, Iron ore Mines,

Bacheli Complex क्षेत्रफल 309.340 हे. में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियमों

का उल्लंघन के संबंध में।

महोदय,

आपकी उपरोक्त खान का निरीक्षण दिनांक 08.12.2021 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा Shri B. Venkataswarlu ,CGM Production cum Mines Manager की उपस्थिति में किया गया तथा खान के निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि आपने खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के निम्नलिखित उपबंधों का उल्लंघन किया है:—

नियम	उल्लंघन के प्रकार का विस्तृत ब्यौरा
Rule 11(1)	RMP along with PMCP was approved vide letter no. DNT/FE/MPLN-1218/2019 dated 16.12.2019 for a period of 2020-21 to 2024-25 . The deviation observed in mining operation vis-a-vis approved document are given below 1) As per approved Mining Plan, 13 boreholes were proposed to be drilled in
	the year 2020-21. Although the same number of boreholes has been drilled during the year but in different locations which was not as per the proposal thereby Nil increase of area under G1 category.
	2) Production & development was proposed in between CS18M & CS 16 on 1140 MB near the crusher location during the year 2020-21, which was not carried out in accordance with the approved plan.
	3) During inspection, it was observed that the bench height was more than 20m against the proposal of 12 Mts in between section line CS18 M & CS16 near the crusher.
Rule-45(5)(c)	Following deficiencies were observed in the Annual Returns submitted: i) In Part V, section 3under the reserves & resource estimated at the end of the year may be given in Metric Tons. ii) In part VI, under grade wise production & dispatch, Ex mine price of Fe
	65% and above is lower than 62% to 65% of Fe. ii) As per part VII in the cost of production table, DMF & NMET details have not been furnished.

इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। एवं इन नियमों के उल्लंधन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियमों के अंतर्गत निम्नलिखित कार्यवाही की जा सकती है :—

- क) नियत तारीख तक प्रस्तुत नहीं करने पर या प्ररूप में Annual Return में अपूर्ण/गलत/मिथ्या सूचना देने पर 10,000/- रुपये प्रति दिन नियत तारीख के पश्चात उलंघन में सुधार तक भुगतान देना पड़ेगा ।
- (ख) खदान की सारी खनन संक्रियांए बन्द की जा सकती हैं,
- (ग) आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है, एवं
- (घ) खनन पट्टे को निरस्त किया जा सकता है।
- 3. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों 11(1) का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की सूचना इस पत्र के जारी होने से 45 दिन के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।
- 4. अतः आपको यह निर्देश दिया जाता है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों 45(5)(c) का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की सूचना इस पत्र के जारी होने से 30 दिन के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

भवदीय

Arun Kumar Dy. Controller of Mines & OIC Indian Bureau of Mines, Raipur

प्रतिः By Email

- 1. खान नियंत्रक (मध्यांचल), भारतीय खान ब्यूरो, नागपूर।
- 2. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, इन्द्रावती भवन, द्वितीय तल, डी ब्लॉक, केपिटल कॉम्प्लेक्स, नया रायपुर, छत्तीसगढ।
- 3. उप महा निदेशक (सांख्यिकी), खनन एवं खनिज सांख्यिकी प्रभाग, पाँचवा तल, डी ब्लॉक, इन्दिरा भवन, सिविल लाइंस, नागपुर, महाराष्ट्र 440 001

Dy. Controller of Mines & OIC Indian Bureau of Mines, Raipur